झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 17 वर्ष 20 22

विविधवाद / प्रथम अपील

ZDOAR/आर(विविध)-18/2022

DISPOSED
28/03/2022

अपीलकर्त्ता श्री प्रवीण कुमार पंडित, ग्राम-खिजुरिया, पो०-टी.के.ग्राम, फतेहपुर, जामताड़ा।

बनाम

प्रतिवादी जिला समाज कल्याण पदा०, जामताड़ा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
02.02.2022	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता **श्री प्रवीण कुमार पंडित, ग्राम–खिजुरिया, पो0–टी.के. ग्राम, पंचायत–फतेहपुर, जामताड़ा, दूरभाष सं0–7061571108** का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उनकी पत्नी श्रीमती जानकी कुमारी को आंगनबाड़ी केन्द्र से पोषाहार एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् मिलने वाली राशि नहीं दिये जाने का उल्लेख करते हुए एतद् संबंधी शिकायत आयोग के समक्ष दर्ज की गई है। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA / 125 / 2021 दिनांक–28.12.2021 द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि एक माह बाद भी अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.02.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन V.C. के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। प्रतिलिपि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की जाय। 2/2/2022 शिकायतकर्ता whatsapp Video call के माध्यम से उपस्थित होंगे। उन्हें सूचित कर दिया जाए। 14/2/22	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.docx16

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.02.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा, श्रीमती सविता कुमारी उपस्थित रहीं। शिकायतकर्त्ता/अपीलकर्त्ता श्रीमती जानकी कुमारी से ऑनलाईन संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा ने श्रीमती जानकी कुमारी, पति श्री प्रवीण कुमार पंडित, ग्राम–खिजुरिया, पो0–टी0के0 ग्राम, पंचायत–फतेहपुर, जामताड़ा के PMMVY के संबंध में लिखित प्रतिवेदन दीं कि श्रीमती जानकी कुमारी का PMMVY form A और B entry कर दिया गया है, लेकिन दोनों का payment pending है। उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम किश्त की राशि अभी भी pending है, जिसके कारण दूसरी किश्त की राशि भी pending है। जानकी देवी को अबतक राशि नहीं मिली है एवं form A और B का status report में pending दिख रहा है। राशि क्यों pending है यह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा भी कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाई। जानकी कुमारी के ही दूसरे शिकायत जिसमें उन्होंने आँगनबाड़ी केन्द्र से पोषाहार नहीं मिलने के संबंध में शिकायत की गयी है, के संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जानकी कुमारी का निबंधन आँगनबाड़ी केन्द्र में सितम्बर 2021 में ही हो चुका है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा स्वीकार किया गया कि श्रीमती जानकी कुमारी को पोषाहार निबंधन के बाद नहीं दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा– 5–i (क) का उल्लंघन है। आयोग इसे गंभीरता से लेता है। उपस्थित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा से इस संबंध में पुछ–ताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि आँगनबाड़ी कन्द्रों में और फतेहपुर आँगनबाड़ी केन्द्र में भी अन्तिम बार माह अप्रैल और मई 2021 को पोषाहार दिया गया है। उसके बाद से पोषाहार बन्द है। पुनः जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा यह भी बताया गया कि सुनवाई की तिथि 22.02.2022 तक पोषाहार नहीं मिला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अनुसार पोषाहार या अनाज न मिलने की स्थिति में आँगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान है। क्योंकि इस केस में माह मई 2021 से ही लाभुक को पोषाहार नहीं दिया गया है। न ही खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का घोर उल्लंघन है एवं इसके प्रति अधिकारियों की संवेदनहीनता स्पष्ट प्रतीत होती है। पोषाहार बन्द होने के बाद इस पर क्या कार्रवाई की गई, इसके संबंध में प्रतिवेदन	

D:\Premlata\Final Court Order.docx24

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

की मांग की गई है। जिस पर कोई स्पष्ट प्रतिवेदन उलब्ध नहीं कराया जा सका।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा को निदेशित किया जाता है कि दिनांक–2.03.2022 तक लाभुकों को पोषाहार नहीं मिलने संबंधी सूचना उच्च अधिकारियों से की गई हो, अथवा किसी प्रकार की कार्रवाई/पत्राचार की गई हो तो उसका प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराएँ एवं PMMVY के किश्त की राशि का pending status के बारे में आयोग को लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–09.03.2022 को निर्धारित की जाती है। उभय पक्ष को उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान ऑनलाईन उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया जाय।

(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	(हलधर महतो) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आज दिनांक–09.03.2022 को वाद सं0–17/2022 के मामले में सुनवाई की गई।

अपीलकर्ता की ओर से श्री प्रवीण कुमार पंडित विडीयो कॉल के माध्यम से उपस्थित रहे। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा अनुपस्थित रहें।

शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि 8 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पोषाहार नहीं मिला है और ना ही खाद्य सुरक्षा भत्ता मिला है।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा को दिनांक–22.02.2022 को आयोग द्वारा निदेशित किया गया था कि लाभुकों को पोषाहार नहीं मिलने संबंधी सूचना तथा प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना संबंधी किस्त की राशि क्यों पेंडिंग है, के बारे में आयोग को लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जिसका अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को अबतक अप्राप्त है।

आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा को

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

पुनः एक अवसर प्रदान करने हुए दिनांक–23.03.2022 तक आदेशित सूचना आयोग को उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करता है। निर्धारित तिथि को साक्ष्य सहित सूचना उपलब्ध न कराने की स्थिति में आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आदेश पारित करने को बाध्य होगा।

उभय पक्ष को इसकी सूचना दें। अपीलकर्ता ऑनलाईन माध्यम से उपस्थित रहेंगे। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा को आयोग के न्यायालय कक्ष में उपस्थित होने का नोटिस निर्गत किया जाए।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28 मार्च 2022 को निर्धारित की जाती है।

(डॉ० रंजना कुमारी)	(हलधर महतो)
सदस्य	सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।	राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	दिनांक–28.03.2022 को वाद सं0–17/2022 श्री प्रवीण कुमार पंडित, ग्राम–खिजुरिया, पो0–टी.के. ग्राम, पंचायत–फतेहपुर, जामताड़ा के मामले में सुनवाई की गई। शिकायतकर्ता श्री प्रवीण कुमार पंडित, ग्राम–खिजुरिया, पो0–टी.के. ग्राम, पंचायत–फतेहपुर, जामताड़ा, दूरभाष सं0–7061571108 का शिकायत–पत्र व्हाटसएप के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ था, जिसमे उनके द्वारा उनकी पत्नी श्रीमती जानकी कुमारी को आंगनबाड़ी केन्द्र से पोषाहार एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् मिलने वाली राशि नहीं दिये जाने का उल्लेख किया गया था। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA/125/2021 दिनांक–28.12.2021 द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि एक माह बाद भी अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। उक्त मामले में दिनांक–22.02.2022 एवं 09.03.2022 को सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा यह स्वीकार किया गया कि आँगनबाड़ी केन्द्रों में अप्रैल एवं मई 2021 को राशन दिया गया है उसके बाद से पोषाहार बन्द है। इसी मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा का पत्रांक–197 दिनांक–23.03.2022 आयोग को समर्पित किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन में भी उल्लेखित है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में मात्र दो माह अप्रैल 2021 एवं मई 2021 में पोषाहार का अंशिक वितरण किया गया है, विभाग से भुगतान लंबित होने के कारण पोषाहार का वितरण नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि इसके भुगतान हेतु ऑनलाईन इन्ट्री कर दिया गया है। लाभुक को प्रथम किस्त मिल चुका है एवं द्वितीय किस्त PFMS में पेंडिग है। स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता श्री प्रवीण कुमार पंडित की पत्नी श्रीमती जानकी कुमारी को माह मई 2021 के बाद से पोषाहार नहीं दिया गया है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	अतः आदेशित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 8 के तहत् खाद्य सुरक्षा भत्ता एक माह के अन्दर प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बाकी किस्तों का भुगतान ससमय कराकर कार्रवाई प्रतिवेदन से आयोग को अवगत करायें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। पारित आदेश की प्रति अनुपालन हेतु सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा को प्रेषित किया जाय। 28.3.22 **(शबनम परवीन)** सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हलधर महतो)** सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	